महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक स्था./4/आरपीएससी./क.स./2013/ 25173-216 दिनांक 28-07-2020

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 एवं कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व में सफल घोषित एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति हेतु कारागार विभाग आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित आशार्थियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय नियत पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाकर, संबंधित आशार्थी के नाम के सामने अंकित कार्यालय/कारागृह पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम आशार्थी मय पिता का नाम	मैरिट क्रमांक	जाति श्रेणी	चयन श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	अभ्यर्थी का स्कैनड फोटो
1	श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री विष्णुदत्त शर्मा	1791	GEN	GENM	28/08/1994	जिला कारागृह, टोंक	
2	श्री रोहिताश धारीवाल पुत्र श्री राम कुमार धारीवाल	1891	OBC	GENM	10/12/1990	महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर	
3	श्री सूर्य प्रकाश भारद्वाज पुत्र श्री रामावतार शर्मा	2078	GEN	GENM	13/07/1999	महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर	
4	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री शंकर लाल	2096	OBC	GENM	25/06/1997	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	
5	श्री दया राम पुत्र श्री लिखमा राम मूण्ड	2113	OBC	GENM	10/10/1999	महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर	

6	श्री लक्ष्मण चौहान पुत्र श्री शिवदान राम	2243	OBC	GENM	20/05/2000	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	
7	श्री तेज प्रकाश भाटीवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद	2307	GEN	GENM	25/02/1995	महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर	
8	श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित पुत्र श्री फूलचन्द दीक्षित	2311	GEN	GENM	25/06/2000	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	
9	श्री शिवमंगल सिंह सोढा पुत्र श्री बृजराज सिंह सोढा	2366	GEN	GENM	15/06/1991	उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज जोधपुर	
10	श्री चैतन्यकांत तिवाडी पुत्र श्री विष्णुकांत तिवाडी	2370	GEN	GENM	16/11/1997	महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर	
11	श्री कुलदीप सैनी पुत्र श्री माली राम सैनी	2396	OBC	GENM	04/01/1994	महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर	
12	श्री नरसिंह राम पटेल पुत्र श्री गणेश राम पटेल	2423	OBC	GENM	07/07/1994	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	
13	श्री विकास कुमार पुत्र श्री सुरज भान	4950	OBC	OBCM	14/06/1992	महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर	

14	श्री पवन गुर्जर पुत्र श्री मूल चन्द गुर्जर	6527	MBC	MBCM	25/11/1995	उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर	
15	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री संत राम	8502	MBC	MBCM	08/06/1998	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	
16	श्री पुनीत कुमार अटल पुत्र श्री गिरधारी लाल अटल	10978	SC	SCM	11/07/1997	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	
17	सुश्री नेहा पुत्री श्री जगदीश सिंह	11116	MBC	MBCF	21/02/1994	महिला बन्दी सुधारगृह, भरतपुर	
18	श्री राम ब्रज पुत्र श्री भरत सिंह	11808	MBC	MBCM	10/07/1998	जिला कारागृह, जयपुर	
19	श्री लिच्छा राम पुत्र श्री तुलछा राम	13362	SC	SCM	01/01/1999	जिला कारागृह, नागौर	
20	श्री कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री ओम प्रकाश मीणा	17432	ST	STM	01/07/1992	वि.केन्द्रीय करागृह, श्यालावास दौसा	
21	सुश्री सुमन मीणा पुत्री श्री गजेन्द्र मीणा	17626	ST	STF	09/01/1996	उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर	

22	श्री लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री हरिनारायण मीणा	22981	ST	STM	24/06/1996	वि.केन्द्रीय करागृह, श्यालावास दौसा	

उक्त आशार्थियों की नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ-डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रूपये 14600/- प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही कनिष्ठ सहायक पद का पे मेट्रिक्स के लेवल-L-5 में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होगें एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार नहीं होगी।
3. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।
4. पूर्व से ही नियोजित अभ्यर्थी वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(1)एफ.डी./ रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में आहरित वेतन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्ड्र वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।
6. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।
7. वित विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक से न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में अंशदान की नियमानुसार कटौती होगी।
8. वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार मेडीक्लेम इंशोरेन्स योजना प्रभावी होगी।
9. कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए-II/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि

दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

10. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।
11. अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 की पालना में धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।
12. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तो के अध्यधीन है।
13. अभ्यर्थी को पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा ।

अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 14.08.2020 तक उपस्थिति प्रदान नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावें।

E.D.B. NO. 312
28.07.2020

(बी.एल. सोनी)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020 दिनांक 16.05.2020 एवं पत्रांक प.1(2)प्र.सु./अनु-3/2020 दिनांक 18.06.2020 के संदर्भ में।
2. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
4. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, अति.महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।
6. निजी सहायक, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. कार्यालयाध्यक्ष एवं अधीक्षक, मुख्यालय कारागार राज. जयपुर।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/भरतपुर।
9. अधीक्षक, विशिष्ठ केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा।
10. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।
11. अधीक्षक/उपाधीक्षक, जिला कारागृह, जयपुर/टोंक/नागौर।
12. प्रभारी, महिला बन्दी सुधारगृह, भरतपुर।
13. संबंधित आशार्थी ।
14. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षक पत्रावली

28/7/2020

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने का शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ...., निवासी .... सशपथ बयान करता/करती हूँ कि "मैं धूम्रपान एवं गुटखा का सेवन नहीं करता/करती हूँ। भविष्य में भी मैं धूम्रपान एवं गुटखा आदि का सेवन नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक :

संतानों की संख्या के संबंध में शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ...., निवासी .... सशपथ बयान करता/करती हूँ कि

1. यह कि मेरे दिनांक 01/06/2002 से पूर्व संतानों की संख्या .... है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	सन्तान का नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि

2. यह है कि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात सन्तानों की संख्या .... है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	सन्तान का नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि

हस्ताक्षर शपथकर्ता/शपथकर्ती

विवाह के समय दहेज न लेने व भविष्य में नहीं लेने के संबंध में शपथ पत्र

मैं .... पुत्र ...., निवासी .... सशपथ बयान करता हूँ कि "मेरा विवाह श्रीमति .... पुत्री श्री .... से दिनांक .... को हुआ था। विवाह में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है।"

अथवा

मैं .... पुत्र ...., निवासी .... सशपथ बयान करता हूँ कि "मैं अभी अविवाहित हूँ तथा भविष्य में होने वाले विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लूगां।"

हस्ताक्षर शपथकर्ता